मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 11-02 /2025/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 मई, 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- नवीन / प्रतिस्थापन अंतर्गत वाहन क्रय किये जाने विषयक ।

---00---

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत शासकीय वाहनों के क्रय के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार दिशा- निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1/ उद्देश्य :-
राज्य शासन के विभिन्न विभागों में वाहनों के क्रय की प्रक्रिया में समानता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत ये दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2/ वाहनों का क्रय :-

(अ) **नवीन वाहनों का क्रय -** राज्य शासन के विभिन्न विभागों में वाहनों की अनुपलब्धता / अल्प उपलब्धता के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग नियत मद में उपलब्ध बजट का उल्लेख कर संलग्न प्रपत्र -1 में आवश्यक जानकारी तथा वाहन की आवश्यकता के संबंध में विवरण उपलब्ध करायेंगे। वाहनों के क्रय की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी जायेगी।

(ब) **प्रतिस्थापन के आधार पर वाहनों का क्रय -** म.प्र. शासन, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरांत राज्य शासन के वाहन के निष्प्रयोजित होकर मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा संलग्न प्रपत्र -1 अनुसार जानकारी सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

3/ वाहनों का मूल्य :-

वित्त विभाग द्वारा अनुमत्य नवीन वाहन क्रय / किराये के वाहन के मूल्य हेतु मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे -

क्र.	कार्मिकों की मूल पद अनुसार श्रेणी	वाहन का Ex -Showroom मूल्य	
		पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. / हाईब्रिड वाहन	इलेक्ट्रिक वाहन (हाईब्रिड वाहन को छोड़कर)
1	*2*	*3*	*4*
i.	प्रथम श्रेणी अधिकारी जिनका वेतन **(a) सातवां वेतनमान अंतर्गत -** अखिल भारतीय सेवा के मेट्रिक्स लेविल 14 अथवा अधिक लेविल तथा म.प्र. सिविल सेवा अंतर्गत मेट्रिक्स लेविल 17 अथवा अधिक है । **(b) छठवां वेतनमान अंतर्गत -** ग्रेड वेतन 10,000 अथवा अधिक है ।	रू 12 लाख (बारह लाख)	रू 18 लाख (अठारह लाख)
ii	प्रथम श्रेणी अधिकारी जिनका वेतन **(a) सातवां वेतनमान अंतर्गत -** अखिल भारतीय सेवा के मेट्रिक्स लेविल 13 एवं 13A तथा म.प्र. सिविल सेवा अंतर्गत मेट्रिक्स लेविल 15 एवं 16 अंतर्गत है । **(b) छठवां वेतनमान अंतर्गत -** ग्रेड वेतन 8700 एवं 8900 है ।	रू 10 लाख (दस लाख)	रू 15 लाख (पन्द्रह लाख)
iii	द्वितीय श्रेणी अधिकारी जिनका वेतन **(a) सातवां वेतनमान अंतर्गत -** अखिल भारतीय सेवा के मेट्रिक्स लेविल 10, 11 एवं 12 तथा म.प्र. सिविल सेवा अंतर्गत मेट्रिक्स लेविल 12, 13 एवं 14 अंतर्गत है। **(b) छठवां वेतनमान अंतर्गत -** ग्रेड वेतन 5400, 6600 एवं 7600 है ।	रू 7 लाख (सात लाख)	रू 10 लाख (दस लाख)

iv	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक अधिकारी) जिनका वेतन **(a) सातवां वेतनमान अंतर्गत -** म.प्र. सिविल सेवा अंतर्गत मेट्रिक्स लेविल 9 एवं 10 है । **(b) छठवां वेतनमान अंतर्गत -** ग्रेड वेतन 3600 एवं 4200 है ।	रू 7 लाख (सात लाख)	रू 10 लाख (दस लाख)

* उपरोक्त मापदण्डों से भिन्न विशिष्ट प्रकार के कार्यो के लिये अधिक मूल्य के वाहन वित्त विभाग द्वारा अनुमत्य किये जायेंगे । प्रशासकीय विभाग को इस प्रकार के प्रकरणों में कार्य की विशिष्टता, प्रस्ताव के माध्यम से स्पष्ट की जाना होगी ।

* तालिका में अंकित कार्मिकों की पद श्रेणी उनके द्वारा धारित मूल पद के आधार पर ही मान्य होगी ।

4/ भुगतान:-

वाहन के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्राप्त होने एवं निर्धारित अभिलेख में पंजीबद्ध होने के उपरांत पर क्रय से संबंधित भुगतान पूंजीगत मद में उपलब्ध बजट से निम्नानुसार किया जायेगा -

i. नवीन वाहन का क्रय - उद्देश्य शीर्ष 23-001

ii. वाहन का प्रतिस्थापन - उद्देश्य शीर्ष 23-002

5/ **किराये के वाहनों का नियोजन:-**

(i). वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर दी जावेगी ।

(ii). मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का पालन कर वाहनों के नियोजन हेतु दर का निर्धारण किया जा सकेगा ।

(iii). क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जा सकेंगे ।

(iv). मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 800 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जायेगा ।

(v). शासकीय कार्य से मुख्यालय बाहर यात्रा करने पर इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी से कराना होगा ।

(vi). किराये के वाहन के लिये किये गये संविदा का कार्यान्वयन सेवा प्रदाता द्वारा संविदा अनुसार किया जा रहा है, इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) विभागाध्यक्ष द्वारा भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii). किराये का वाहन नियोजन की स्थिति में संबंधित कार्मिक के वेतन से परिवहन विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार निर्धारित राशि काटी जाकर मुख्य शीर्ष 0070-उपशीर्ष 60-लघुशीर्ष 800-योजना क्रमांक 0099 में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

6/ प्रभावशीलता:-

उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. एफ 11-02/2025/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 मई, 2025

प्रतिलिपि -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल

14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

31. गार्ड फाईल ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

नवीन वाहन क्रय / वाहन पुर्नस्थापन / वाहन किराये पर लिये जाने के संबंध में
(कार्यालय/विभागाध्यक्ष / विभाग ....)

स.क्र.	विवरण	विभागीय जानकारी
1.	विभाग में वर्तमान में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या (क्रय वाहन एवं किराये के वाहन को पृथक-पृथक प्रदर्शित करें)	
2.	यदि कार्यालय में वाहन किराये से भी लिये गये हैं यदि हाँ तो किसे आवंटित है (विवरण)	
3.	वाहनों के आवंटित अधिकारियों का पदनाम	
4.	कोषालय कम्प्यूटर प्रणाली अंतर्गत वाहन की डाटाबेस में entry की जानकारी (की गई है / नहीं की गई है)	
5.	वाहन नवीन क्रय होना है अथवा पुनर्स्थापन अथवा किराये का वाहन लिया जाना है	
6.	यदि पुनर्स्थापन है, तो पूर्व में अपलेखित वाहन का क्रमांक एवं मोटरयान नियम 2021 के अनुसार जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट का विवरण	
7.	नवीन वाहन क्रय की स्थिति में वाहन क्रय किये जाने का औचित्य	
8.	जिस अधिकारी हेतु वाहन क्रय/ किराये पर लिया जाना है, उसकी श्रेणी एवं ग्रेड वेतन / मेट्रिक्स लेविल	
9.	क्रय / किराये पर लिये जाने वाले वाहन का प्रकार एवं एक्स शोरूम कीमत	
10.	वाहन चालक के पद की स्थिति स्वीकृत पद / कार्यरत / रिक्त पद	
11.	विभाग अंतर्गत निगम / मंडल / अन्य संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध वाहन तथा आवंटित अधिकारियों का विवरण	
12.	वाहन क्रय / पुनर्स्थापन हेतु नियत शीर्ष में बजट की उपलब्धता	
13.	अन्य (रिमार्क)	

*** नवीन वाहन क्रय / प्रतिस्थापन / किराये के वाहन का सम्मिलित प्रस्ताव भेजे जाने की स्थिति में यह प्रपत्र नवीन वाहन क्रय / प्रतिस्थापन / किराये के वाहन के लिये पृथक-पृथक भरा जाये ।**

भार साधक सचिव
म.प्र. शासन
विभाग...............